(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संं0 11/2021 दायर दिनांकः 05.02.2021

उनवान

1. कैलाश आत्मज पूरीलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. देवीलाल आत्मज पुरीलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. फूलबाई पत्नी पूरीलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. बालाराम आत्मज पूरीलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. हरीसिंह आत्मज उदा जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

———वादीगण

बनाम

1. तुफानसिंह आत्मज रामलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. प्रहलादसिंह आत्मज प्रभुलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जये तहसीलदार तहसील सुनेल

———प्रतिवादीगण

दावा धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

अभिभाषक वादीगण :– श्री रमेशचन्द सोनी
प्रतिवादी सं. 1 व 2 :– एकतरफा
प्रतिवादी सं. 3 – पेरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

निर्णय दिनांक : 21.08.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि कस्बा सुनेल की जमाबन्दी संख्या नई 798 सम्वत 2073–2076 की आराजी किता 5 रकबा 1.5049 है. आराजी वादीगण के तन्हा खातेदारी में दर्ज है. [illegible] खसरा नं. 2766 की आराजी को आगे वाद में [illegible] से सम्बोधित किया गया है। यह कि वादग्रस्त आराजी [illegible] खातेदारी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

[illegible] तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की

Scanned with OKEN Scanner

(5)

कब्जे काश्त की आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2766 की दक्षिणी पूर्वी मेड़ जो पढ़त आराजी है जिस पर वादीगण के मवेशी घास चरते है। यह कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। यह कि प्रतिवादीगण ने बिना किसी विधिक प्राधिकार के वादीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2766 की दक्षिणी पूर्वी मेढ़ पर जुलाई 2018 में जबरन हंकाई कर दी वादीगण ने प्रतिवादीगण को जबरन हकाई करने से मना किया तो प्रतिवादीगण नहीं माने एव कहने लगे कि पैमाईश करवा लेना तुम्हारी होगी तो छोड़ देंगे। यह कि वादीगण ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी द्वारा दिनांक 23.06.2019 को सीमाज्ञान करवाया गया। वादीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2766 की दक्षिणी पूर्वी मेड जो खसरा नंम्बर 2768 की आराजी की दक्षिणी मेड से लगत है। इस दक्षिणी पूर्वी मेढ़ पर उत्तर–दक्षिण 24 फुट चौडाई में एंव पूर्व–पश्चिम 360 फुट लम्बाई की मेड़ पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर बिना किसी विधिक प्राधिकार के अवैध कब्जा कर रखा है। प्रतिवादीगण की हैसियत मात्र अतिकमी की है। यह कि वादीगण ने सीमाज्ञान होने के उपरान्त, प्रतिवादीगण से खसरा नं. 2766 की दक्षिणी पूर्वी मेढ़ से कब्जा हटाने की कहा तो प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना किया एंव वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2766 की दक्षिणी पूर्वी मेढ़ पर वादीगण को काश्त करने से रोक रहे है। यह कि वादग्रस्त आराजी के वादीगण रिकार्डेड खातेदार कृषक है प्रतिवादीगण की हैसियत मात्र अतिकमी की है प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी पूर्वी मेढ़ पर कब्जा बनाये रखने का कतई अधिकार नहीं है प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य गैर कानूनी एंव अवैध है। वादीगण वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी पूर्वी मेढ़ से प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर मौके पर कब्जा प्राप्त करने की पात्रता रखते है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्र स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने की पात्रता रखते है। यह कि वादकारण जून–2019 [illegible] ज्ञान होने के उपरान्त वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी [illegible] कब्जा हटाने की कहने पर एंव प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाने [illegible] कर दावा करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

लाजमी हुआ। यह कि वादग्रस्त आराजी कस्बा सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ में स्थित होने से माननीय को वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। यह कि वादपत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि प्रतिवादीगण नं. 3 लैण्ड होल्डर होने से एवं आवश्यक पक्षकार होने से पार्टी बनाया गया है। यह कि वादीगण प्रार्थना करते है कि –

(अ) डिक्री बेदखली की बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण प्रदान की जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2766 वाके कस्बा सुनेल स्थित की दक्षिणी पूर्वी मेढ, 24 फुट चौड़ी (उत्तर दक्षिण एंव 360 फुट लम्बी (पूर्व–पश्चिम) से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर मौके पर कब्जा वास्तविक एंव भौतिक रूप से वादीगण को सम्भलाया जावे।

(ब) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा की बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण प्रदान की जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादींगण को वादग्रस्त आराजी पर काश्त करने से न तो स्वंय रोके एंव नहीं किसी अन्य से रूकवावे

(स) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री विनोद जैन उपस्थित हुए परन्तु दिनांक 03.04.2025 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं तथा अभिभाषक प्रतिवादी अनुपस्थित रहे जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 03.04.2024 के अनुसार उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 3 का जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सुनेल के खाता सं. 798 की जमाबंदी सं. 2073–76 प्रदर्श 1, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.06.2019 प्रदर्श 2, लट्ठा नक्शा ट्रेस दिनांक 22.12.2020 प्रदर्श 3 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में बालाराम पि. पूरीलाल [illegible] पि. मदनलाल जगदीश पि. रामप्रताप PW-1 to 3 के शपथपत्र/बयान करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल मे खाता संख्या 798 का खसरा नम्बर 2766 रकबा 0.2909 हैक्टेयर भूमि के वादीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अवैध रूप से बिना किसी हक व अधिकारी के अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को कब्जा छोडने के लिये कहा तो मना कर दिया और लडाई झगडे पर आमादा हुआ। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 का बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतुं कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बेदखल कर वादीगण को वापिस क़ब्जा दिलाया जावे और प्रतिवादी सं. 3 को वादग्रस्त आराजी का वादीगण को कब्जा सौपने के लिए निर्देशित किया जावे।

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि नियमानुसार वादीगण का अनुतोष दिया जावे तो पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषक वादीगण एवं परोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सुनेल तहसील सुनेल मे खाता संख्या 798 प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांदग्रस्त आराजी में वादीगण सहखातेदार है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार कृषक है। वादीगण द्वारा पेश सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.06.2019 प्रदर्श 2 के अनुसार ग्राम सुनेल के ख.नं. 2766 व ख.नं. 2767 [illegible] का [illegible] कराया जाकर निशानात किये गये। मौके पर अप्रार्थी/प्रतिवादी [illegible] तूफानसिंह पि. रामलाल उपस्थित था परन्तु सीमाज्ञान से असंतुष्ट होकर मौके से बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Y2
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(18)

हस्ताक्षर किये चला गया। अतः साबित है कि पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी का दिनांक 23.06.2019 को सीमाज्ञान किया गया था। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं करना था जिससे प्रतिवादी सं. 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी में वादी की भूमि पर अतिक्रमी होना जाहिर होता है।

7. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह PW-2 मनोहर पि. मदनलाल द्वारा सशपथ बयानो में कथन किया गया है कि वादीगण की ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2766 स्थित है। इस आराजी की दक्षिणी पूर्वी मेड जो पडत आराजी है जिस वादीगण के मवेशी घास चरते है। इस दक्षिण पूर्वी मेड से प्रतिवादीगण को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने जुलाई 2018 में वादीगण की आराजी की दक्षिणी पूर्वी मेड को जबरन हंकाई कर दी। प्रतिवादीगण को मना करने पर उन्होने कहा कि पैमाईश करवालो तुम्हारी होगी तो छोड देगे। वादीगण ने पैमाईश करवाई तो वादीगण की आराजी ख.नं. 2766 की दक्षिणी पूर्वी मेड पर उत्तर दक्षिण 24 फीट चौडाई में एवं पूर्व पश्चिम मेड पर 360 फीट लम्बाई पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा होना पाया। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने की कही तो मना कर दिया। दिनांक 23.06.2019 को मेरे सामने पैमाईश हुई थी जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। इसी प्रकार के बयान गवाह PW-3 जगदीश पि. रामप्रताप द्वारा दिये गये। वादी PW-1 बालाराम पि. पूरीलाल ने भी अपने सशपथ बयान में उक्त कथनों को दोहराया है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार कृषक है और सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.06.2019 प्रदर्श 2 के अनुसार ग्राम सुनेल के ख.नं. 2766 व ख.नं. 2767 भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर निशानात किये जाना जाहिर होता है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादीगण की भूमि पर कब्जे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कानूनी वैधता (lawful authority) संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादग्रस्त आराजी में वादीगण की भूमि पर अतिक्रमी साबित है और अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। वादीगण के अनुसार वाद का कारण हेतुक जून 2019 को उत्पन्न हुआ है अर्थात प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा जून 2019 से वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा किया है। यहां धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

<u>183. Ejectment of certain trespasser</u>— (1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार टीनेन्ट है और कब्जा काश्तरत है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) कब्जा करना चाह रहे है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 अतिक्रमी है। **प्रतिवादी के जबरन कब्जा करने के प्रयास से वादीगण को क्षति होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है।** प्रतिवादीगण को वादीगण के खाते व कब्जे की आराजी में जबरन कब्जा करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने पर पक्षकारो के मध्य लडाई झगड़े [illegible] फसाद बहुलता भी बढेगी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 अतिक्रमी है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर दखल नहीं देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने योग्य है। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

188. Injunction against wrongful ejectment–

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

0. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सुनेल हसील सुनेल मे खाता संख्या 798 का खसरा नम्बर 2766 रकबा 0.2909 क्टेयर के संबंध में वादीगण का वाद धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट वीकार करनें योग्य है।

–::<u>क्रियात्मक आदेश</u>::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सुनेल तहसील नेल मे खाता संख्या 798 का खसरा नम्बर 2766 रकबा 0.2[illegible] हैक्टेयर के बंध में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(11)

तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादीगण की ग्राम सुनेल तहसील सुनेल मे खाता संख्या 798 का खसरा नम्बर 2766 रकबा 0.2909 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बेदखल कर वादीगण को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाता है कि वे वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(12)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11/2021 दायर दिनांकः 05.02.2021

उनवान

1. कैलाश आत्मज पूरीलाल. जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. देवीलाल आत्मज पुरीलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. फूलबाई पत्नी पूरीलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. बालाराम आत्मज पूरीलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. हरीसिंह आत्मज उदा ,जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

–––वादीगण

बनाम

4. तुफानसिंह आत्मज रामलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
5. प्रहलादसिंह आत्मज प्रभुलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
6. राजस्थान सरकार जये तहसीलदार तहसील सुनेल

–––प्रतिवादीगण

दावा धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

अभिभाषक वादीगण :– श्री रमेशचन्द सोनी

प्रतिवादी सं. 1 व 2 :– एकतरफा

प्रतिवादी सं. 3 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल ,कराई ....X........ रूबरू........X........मिनजानित मुदई रूबरू ....X........

ग्राम सुनेल तहसील सुनेल मे खाता संख्या 798 का खसरा नम्बर 2766 रकबा 0.2909 हैक्टेयर के संबंध में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादीगण की ग्राम सुनेल तहसील सुनेल मे खाता संख्या 798 का खसरा नम्बर 2766

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.2909 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वेदखल कर वादीगण को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वें वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

21/8/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वशारह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X.....अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.08.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner